





FORM NO. III

फर्द अहकम

Crim I

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम विजौलियां, भीलवाड़ा
डॉ. चन्द बनाम अरुण
 क्रिसम मुकदमा अर्चना पत्र (III-123) प्रकरण संख्या 189 रान 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/10/2025	<p>प्रार्थना-पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक <u>17/11/2025</u> को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां </p>	
17/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद विजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 8/12/25 को वास्ते पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां </p>	
3/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद विजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक <u>22/12/25</u> को वास्ते पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां </p>	
12/12/25	<p>पत्रावली फॉलोअप शिफ्ट यू.आर. लालवारियां में पेश हुई समस्त विपक्षीगणों की वाद तामील प्राप्त हुई, जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण वाद यूजग अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध छ-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। फॉलोअप तहरीर तैयार की जा रही है। पत्रावली संभार से <u>दाखल</u> है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 189/25

तारीख दायर 28/10/25

फैसल :- 22/12/25

डालचन्द पिता सरदार जी जाति अहीर उम्र व्यस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

1. बरदा पिता भवाना धाकड जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी गोपालनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0
2. कैलाश पिता अम्बालाल जी जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:--आदेश:-

दिनांक :- 17/12/25

प्रार्थनापत्र प्रार्थी डालचन्द ने जरिये अभिभाषक श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाडी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम रामपुरिया उर्फ चौपडा पटवार हल्का आरोली भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 14 पर स्थित आराजी संख्या 117/96 कुल किता 1 रकबा 0.3480 हैक्टेयर भुमि,, स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम मौजा ग्राम रामपुरिया उर्फ चौपडा पटवार हल्का आरोली भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 14 पर स्थित आराजी संख्या 117/96 कुल किता 1 रकबा 0.3480 हैक्टेयर भुमि, की बशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड/अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 189/2025

तारीख दायर 28/10/25
फैलम :- 17/11/25

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 189/25
प्रत्थरगढी बाबत।

डालचन्द पिता सरदार जी जाति अहीर उम्र व्यस्क निवासी झाडोली
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

1. बरदा पिता भवाना धाकड जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी गोपालनिवास
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. कैलाश पिता अम्बालाल जी जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी चान्द
जी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा**
ग्राम ग्राम रामपुरिया उर्फ चौपडा पटवार हल्का आरोली भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र
सलावटिया तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 14 पर स्थित आराजी संख्या
117/96 कुल किता 1 रकबा 0.3480 हैक्टेयर **भूमि,** की बशमलात पड़ोसीयान
के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे
तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने
हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भु-अभिलेख निरीक्षक **रा.रा.रा.रा.रा.** को कमिश्नर
नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस **0.4000** वसूल कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी
अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी
करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ